डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : 221 / फा0सं0–499 / वि0नामित / स्था0 / DSMNRU / 2024–25 दिनाँक : 4 मई, 2024

// कार्यालय आदेश //

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–28 में वर्णित व्यवस्थानुसार "(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होंगी। (2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियां और सेवा शर्तें वहीं होगी जैसा विहित किया जाये।"

तत्क्रम में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय–5 में विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में धारा–5.05 से 5.09 में दी गई व्यवस्था के क्रम में प्रो0 यशवन्त कुमार वीरोदय, आचार्य, हिन्दी को हिन्दी एवं अन्य भाषा विभाग का 03 वर्षों हेतु विभागाध्यक्ष, इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से नियुक्त किये जाने का निदेश हुआ है।

विभागाध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं प्रथम परिनियमावली में दी गयी संगत व्यवस्थाओं के अधीन अपने–अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा। विभागाध्यक्ष का कार्यकाल इस कार्यालय आदेश के निर्गत होने की तिथि से 03 वर्षों तक के लिए प्रभावी होगा। इस दायित्व के लिए विभागाध्यक्ष को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन, भत्ते अथवा मानदेय आदि देय नहीं होगा।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति, मा0 कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक / परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
6. प्रो0 यशवन्त कुमार वीरोदय, आचार्य, हिन्दी, विश्वविद्यालय।
7. सम्बन्धित विभाग के समस्त शिक्षकवृन्द।
8. समस्त अधिकारीगण।
9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित की व्यक्तिगत् पत्रावली हेतु।
11. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव